(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 04/2022-State Tax (Rate)

Dated: 04/10 /2022

No. F.3 (16)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 793 - In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(a) in column (3), -

(i) against serial number 6,in clause (a), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(ii) against serial number 7, in the *Explanation*, in clause (a), in sub-clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(iii) against serial number 8, in the proviso, in clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(iv) against serial number 9, in the first proviso, in clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(b) against serial number 12, in column (3), after the words "as residence", the words "except where the residential dwelling is rented to a registered person" shall be inserted;

(c) serial number 14 and the entries relating thereto shall be omitted;

(d) against serial number 15, in column (3), for clause (a),the following shall be substituted: -

(3)
"(a) air in economy class, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal;";

(e) against serial number 20, in column (3), clause (d) shall be omitted;

(f) against serial number 21, in column (3), clauses (b) and (c) shall be omitted;

(g) against serial number 24B, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
"Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables.";

(h) after serial number 24B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24C	Chapter 9968	Services by the Department of Posts by way of post card, inland letter, book post and ordinary post (envelopes weighing less than 10 grams).	Nil	Nil";

(i) serial number 26 and the entries relating thereto shall be omitted;

(j) serial number 32 and the entries relating thereto shall be omitted;

(k) serial number 33 and the entries relating thereto shall be omitted;

(l) serial number 47A and the entries relating thereto shall be omitted;

(m) serial number 51 and the entries relating thereto shall be omitted;

(n) after serial number 52 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52A	Heading 9985	Tour operator service, which is performed partly in India and partly outside India, supplied by a tour operator to a foreign tourist, to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India: Provided that value of the tour operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to the proportion which the number of days for which the tour is performed outside India has to the total number of days comprising the tour, or 50% of the total consideration charged for the entire tour, whichever is less: Provided further that in making the above calculations, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered as one full day and any duration of time less than 12 hours shall be taken as half a day. *Explanation.* -"foreign tourist" means a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes. *Illustrations:* *A tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist as follows: -* *(a) 3 days in India, 2 days in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-* *Exemption: Rs.40,000/- (=Rs.1,00, 000/- x 2/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1,00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.40,000/-(i.e., Taxable value: Rs.60,000/-);* *(b) 2 days in India, 3 nights in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1,00,000/-* *Exemption: Rs.60,000(=Rs.1,00, 000/- x 3/5) or, Rs.50,000/- (= 50% of Rs.1, =00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50,000/-(i.e., Taxable value: Rs.50,000/-);* *(c) 2.5 days in India, 3 days in Nepal; Consideration charged for the entire tour: Rs.1,00, 000/-* *Exemption: Rs.54,545(=Rs.1,00, 000/- x 3/5.5) or, Rs.50,000/- (= 50% of Rs.1,00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50,000/-(i.e., Taxable value: Rs.50,000/-).*	Nil	Nil";

(o) serial number 53A and the entries relating thereto shall be omitted;

(p) against serial number 54, in column (3), clause (h) shall be omitted;

(q) serial number 56 and the entries relating thereto shall be omitted;

(r) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;

(s) against serial number 74, in column (3), in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

(3)
"Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.";

(t) serial number 75 and the entries relating thereto shall be omitted;

(u) against serial number 80, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
"Services by way of training or coaching in- (a) recreational activities relating to arts or culture, by an individual, or (b) sports by charitable entities registered under Section 12AA or 12AB of the Income Tax Act.";

(v) against serial number 82A, in column (3), after the letters, figures and words, "FIFA U-17 Women's World Cup 2020", the brackets and words "[whenever rescheduled]" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification no.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and last amended vide notification no. 16/2021 - State Tax (Rate), dated the 16th March, 2022, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(159)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/170, dated the 16th March, 2022.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3 (16)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 793 **Dated: 05/10/2022**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 04/2022–राज्य कर (दर)

दिनांक: 04/10/2022

सं.फा.03(16)/वित्त (व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/ 793 : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017– राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे स.फा.03(15)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/380, दिनांक 30, जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग–IV प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्मिलिखित संशोधन करते हैं, यथा:–

उक्त अधिसूचना में,–

(क). सारणी में, कॉलम (3) में–

(i) क्रम संख्या 6 के समक्ष., उपवाक्य (i) में," स्पीड पोस्ट , एक्सप्रेस पार्सल डाक , जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओ के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य् (क) में, क्रम संख्या (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओ के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओ के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, "केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओ के माध्यम द्वारा" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख). क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में, "निवास के रूप में" शब्दों के पश्चात्", उस स्थिति को छोड़कर जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो, "शब्दों को अंतःस्था"पित किया जाएगा;

(ग).क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ). क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः—

" (क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन;";

(ङ). क्रम संख्या 20 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य् (घ) को निरसित किया जाएगा;

(च). क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य् (ख) और (ग) को निरसित किया जाएगा;

(छ). क्रम संख्या 24ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्लिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः—

(3)
"अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयर–हाऊसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं.",

(ज). क्रम संख्या 24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ग	अध्यातय 9968	पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वजन 10 ग्राम से कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं;	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(झ). क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ञ). क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ट). क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ठ). क्रम संख्या 47क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ड). क्रम संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ढ). क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चायत निम्नवलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्था;पित किया जाएगा, यथाः—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52क	शीर्षक 9985	टूर प्रचालक सेवा, जो कि आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और टूर ऑपरेटर के द्वारा विदेशी पर्यटक को सुलभ कराई जाती है, भारत के बाहर सुलभ कराई जाने वाली टूर ऑपरेटर सेवा के मूल्य की सीमा तकः बशर्ते कि भारत के बाहर दी गई टूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल मूल्य का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की	Nil	Nil";

		संख्या और टूर के लिए कुल दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे टूर के लिए कुल शुल्क का 50%, जो भी कम हो: बशर्ते और भी कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा। स्पष्टीकरण – "विदेशी पर्यटक" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं है और वैध और गैर–अप्रवासी उद्देश्य के लिए छह महीने से अनधिक अवधि के लिए भारत में रुकने के लिए आता है । दृष्टांत: कोई टूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता है:– (क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/–. छूट: रु. 40,000/– (= रु.1,00,000/– x 2/5) या, रु.50,000/– (= रु.1,00,000/– का 50%) जो भी कम हो, अर्थात रु. 40,000/– (अर्थात कर योग्य मूल्य: रु. 60,000/–); (ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/–. छूट: रु.60, 000 (= रु.1, 00, 000/– x 3/5) या, रु. 50, 000/– (= रु. 1, 00, 000/– का 50%) जो भी कम हो ,यानी, रु. 50, 000/– (अर्थात, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/–); (ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में 3 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/–. छूट: रु. 54,545 (= रु.1, 00,000/– x 3/5.5) या, रु. 50, 000/– (= रु. 1, 00,000/– का 50%), जो भी कम हो, अर्थात, रु. 50, 000/– (अर्थात, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/–).		

(ण). क्रम संख्या 53क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(त). क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (ज) को निरसित किया जाएगा;

(थ). क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(द).क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ध).क्रम संख्या 74 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थातपित किया जाएगा, यथाः–

(3)
"बशर्ते कि उस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू)/नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी जिसका शुल्क रु 5000/– प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं दी जा रही हो।";

(न). क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(प). क्रम संख्या 80 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
"प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवाएं– (क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद–प्रमोद के क्रिया कलाप में, किसी व्यक्ति द्वारा या (ख) आयकर अधिनियम की धारा 12कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल,";

(फ).क्रम संख्या 82क के समक्ष, कॉलम (3) में, अक्षर, अंक और शब्दों "FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020" के पश्चात्, कोष्ठक और शब्द, "[जब भी पुनर्नियोजित]" को अंतःस्थापित जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017 –राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं.फा. 03(15)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021–राज्य कर (दर), दिनांक 16 मार्च, 2022 सं.फा. 03 (159)/वित्त (व्यय–I)/2021–22/डीएस–I/170, दिनांक 16 मार्च, 2022 के तहत प्रकाशित, के द्वारा और, संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव –I (वित्त)

सं.फा.03(16)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/793 दिनांकः 05/10/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेब साईट।
12. गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव – I (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 06/2019-State Tax

Dated: 05/10/2022

No. F.3 (18)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 795 - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of this Government issued vide No. 65/2017-State Tax, dated the 22nd December 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(73)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/827, dated the 22nd December 2017, namely: -

In the said notification, in the proviso, for the words, brackets, letters and figures "sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir", words, brackets and figures "the first proviso to sub-section (1) of section 22 of the said Act, read with clause (iii) of the Explanation to the said section" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

Note:- The Principal Notification No. 65/2017-State Tax, dated the 22nd December 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(73)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/827, dated the 22nd December 2017

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3(18)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 795 **Dated: 05/10/2022**
Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P.

Estate, New Delhi

8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 06/2019–राज्य कर

दिनांक: 05/10/2022

सं.फा.03(18)/वित्त(व्यय– I)/2022–23/डीएस– I/795: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017का 03) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व–I) की अधिसूचना संख्या 65/2017 राज्य कर, तारीख 22 दिसंबर 2017, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV में सं.फा.03(73)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/827, तारीख 22 दिसंबर 2017, द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना के परंतुक में, "संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड 4 के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, जम्मू कश्मीर राज्य से भिन्न" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) के पहले परंतुक में" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 65/2017–राज्य कर, तारीख 22 दिसंबर 2017, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग–IV में सं.फा.03(73)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/827, तारीख 22 दिसंबर 2017, द्वारा प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव – I (वित्त)

सं.फा.03(18)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/795 दिनांक: 05/10/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11 वेब साईट।
12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव – I (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 11/2022-State Tax

Dated: 04/10/ **2022**

No. F.3 (19)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 796 -In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide No. 21/2019-State Tax, dated the 17th October 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (73)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17th October 2019, namely:-

In the said notification, in the second paragraph, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

Provided also that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter ending 30th June, 2022 till the 31st day of July, 2022.

Note: The principal notification No. 21/2019-State Tax, dated the 17th October 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (73)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17th October 2019 and was last amended, vide notification number 25/2021 – State Tax, dated the 23rd November 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (123)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/327, dated the 23rd November 2021.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3 (19)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 796

Dated: 04/10/ **2022**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या– 11/2022–राज्य कर

दिनांकः 04/10/2022

सं.फा.03(19)/ वित्त (व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/796 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 21/2019–राज्य कर, तारीख 17 अक्टूबर, 2019 जो संख्याक सं.फा.03 (73)/वित्त (राजस्व–I)/2019–20/डीएस–VI/490, तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग– IV में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना के, दूसरे पैरा में, चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नालिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह और भी कि उक्त व्यक्ति 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्वानिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरो के वियरण को दिल्ली माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररुप जीएसटी सीएमपी–08 में 31 जुलाई 2022 तक प्रस्तुत करेगा।

टिप्पणः मूल अधिसूचना संख्यां 21/2019–राज्य कर, 17 अक्टूबर, 2019, संख्याक सं.फा.03 (73)/वित्त (राजस्व–I)/2019–20/डीएस–VI/490, तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 25/2021–राज्य कर, तारीख 23 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, संख्याक सं.फा. 03(123)/वित्त (व्यय–I)/2021–22/डीएस–I/327, तारीख 23 नवंबर, 2021 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV में प्रकाशित की गई थी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव –I (वित्त)

सं.फा.03(19)/ वित्त (व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/796 दिनांकः 04/10/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग –

चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव –I (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 05/2022-State Tax (Rate)

Dated: 05/10 /2022

No. F.3 (17)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 797 -In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide No.13/2017-State Tax (Rate), the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(1) against serial number 1,in column (2), -

(a) the words, figures and symbols "who has not paid state tax at the rate of 6%," shall be omitted;

(b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, -

i. the supplier has taken registration under the DGST Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge; and

ii. the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging State Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.";

(2) against serial number 5, in column (2), in the sub-clause (2), in item (i), the words "by way of speed post,express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority"shall be omitted;

(3) after serial number 5Aand the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5AA	Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.	Any person	Any registered person.";

(4) after Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

"Annexure III

Declaration

I/we have taken registration under the DGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.".

II. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

Note: -The principal notification No.13/2017-State Tax (Rate), the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification no. 29/2019 -State Tax (Rate), dated the 23rd October, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (13)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/130, dated the 23rd October, 2020.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3 (17)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 797 **Dated: 04/10 /2022**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या– 05/2022–राज्य कर (दर)

दिनांक: 04/10/2022

सं.फा.03(17)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/797 : दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप–धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की की अधिसूचना संख्या 13/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–I/379, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग– IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,–

1) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में,–

(क) शब्द, अंक और प्रतीक "जिसने 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का का भुगतान नहीं किया है" को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–

"बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,–

i. आपूर्तिकर्ता ने डीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, और

ii. आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दरों पर राज्य कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवॉयस के बारे में अनुबंध III में यथा – निर्धारित घोषणा की हो।";

2) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उपवाक्य (2), मद (i) को शब्द और प्रतीक "(i) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।"

3) क्रमांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–

(1)	(2)	(3)	(4)
"5कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति।";

4) अनुलग्नक II के बाद, निम्नलिखित अनुलग्नक को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:–

"अनुलग्नक III

घोषणा

मैंने / हमने डीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष ______ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।".

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017– राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, को सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/379, दिनांक 30 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2019–राज्य कर (दर), दिनांक 23 अक्टूबर, 2020, सं.फा. 03(13)/वित्त(राजस्व–I)/2020–21/डीएस–IV/130, दिनांक 23 अक्टूबर, 2020, के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव –I (वित्त)

सं.फा.03(17)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/797 दिनांक 05/10/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11 वेब साईट।
12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव –I (वित्त)